

क्रमांक:-प.1/विजा/स्था0/2018/ 3884

दिनांक 9 /08/2018

:- आदेश :-

श्री मनमोहन गुप्ता तहसीलदार पचपहाड को ज्ञापन क्रमांक 57 दिनांक 02.01.18 से राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत इस आशय का नोटिस जारी किया जाकर निम्न प्रकार आरोपित किया गया था।

आरोप संख्या 1. - यह कि आपको सी0ए.जी. प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 का अनु0 संख्या 4.10.2 की टोस,पूर्ण एवं तथ्यात्मक पालना प्रस्तुत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1214-19 दिनांक 01.10.03,1425-32 दि031.12.13,1593-1600 दिनांक 31.1.14,1863-73 दि003.6.14,2318-25 दिनांक 10.9.16,253-57 दि014.2.17,336-40 दि028.2.14,557-62 दि030.3.14 व अ0शा0पत्र क्रमांक 2815-22 दि029.12.14,154-161 दि013.2.15,557-84 दि0 23.4.15,969-75 दि008.7.15,179-186 दि009.2.16,318-322 दि017.3.16,351-55 दि0 12.4.16 व 1186-90 दि003.08.17 तथा कारण बताओ नोटिस 642-46 दि021.6.17 व अंतिम पत्र 1701-06 दि009.11.17 से लिखे जाने के उपरान्त समय पर टोस,पूर्ण एवं तथ्यात्मक अनुपालना प्रेषित नहीं करने के कारण उक्त अनु0 जन लेखा समिति वर्ष 2016-17 के 159 वे प्रतिवेदन के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा राजकार्य में लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए आप को आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 2- यह कि आपको सी0ए.जी. प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 का अनु0 संख्या 4.7 की टोस,पूर्ण एवं तथ्यात्मक पालना प्रस्तुत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 844-61 दि008.08.16,999-1015 दि030.8.16,289-96 दि020.2.17,599-603 दि010.4.17,933-36 दि005.6.17 अ0शा0पत्र क्रमांक 98 101 दि011.1.17,1038-41 दि028.6.17,1260-63 दि04.9.17,1450-53 दि0 22.9.17 तथा कारण बताओ नोटिस 1531-33 दिनांक 24.10.17 से से लिखे जाने के उपरान्त समय पर टोस,पूर्ण एवं तथ्यात्मक अनुपालना प्रेषित नहीं करने के कारण उक्त अनु0 जन लेखा समिति वर्ष 2016-17 के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा राजकार्य में लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए आप को आरोपित किया जाता है।

उक्त आरोपों के क्रम में श्री मनमोहन गुप्ता तहसीलदार पचपहाड ने लिखित जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया :- 1-उक्त पैरा में 30 प्रकरणों में राशि वसूल की जानी थी जिसमें से 29 प्रकरणों में राशि वसूल हो चुकी है जिसकी सूचना मय चालानों की प्रति के भिजवाई जा चुकी है। मात्र एक प्रकरण में बाकीदार का नाम पता सही नहीं होने के कारण वसूली नहीं हो पाई है। 2-उक्त पैरा में 14 प्रकरणों में कुल रू0 9.9 लाख की राशि वसूल की जानी थी। समस्त प्रकरणों में राशि वसूल हो चुकी है जिसकी सूचना मय चालानों की प्रति के भिजवाई जा चुकी है।

हमारे द्वारा श्री गुप्ता के द्वारा प्रस्तुत जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया, श्री मनमोहन गुप्ता तहसीलदार पचपहाड के प्रकरण में सहानूहूतिपूर्वक विचार कर भविष्य में कार्य विशेष सतर्कता एवं तत्परता से निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने की हिदायत के साथ प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

जिला कलक्टर

झालावाड़

दिनांक 9, 08.2018

क्रमांक सम0/18/ 3885-98  
प्रतिलिपी निम्न को :-

- 1-उपखण्ड अधिकारी भ0मंडी
- 2-तहसीलदार पचपहाड
- 3- श्री मनमोहन गुप्ता तहसीलदार पचपहाड
- 4-व्यक्तिगत पत्रा0
- 5-रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर

झालावाड़